न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवरायपाटन जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— हरबिन्दर डिल्लन सिंह (RAS)

प्रार्थना पत्र संख्या :— 46 / 2020

1. नाथूलाल आ0 मोतीलाल जाति बैरवा निवासी इन्द्रपुरिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0

— —प्रार्थी

बनाम

1. महावीर
2. राकेश

} पिसरान गोबरीलाल जाति बैरवा निवासी मस्जिद गली कोटा जंक्शन कोटा थाना भीममण्डी कोटा

3. लखविन्द्र सिंह
4. गुरनाम सिंह

} पिसरान चरण सिंह जाति जट सिख निवासी इन्द्रपुरिया थाना व तहसील के0 पाटन

— — अप्रार्थीगण

वाद—अधिकार घोषणा,स्थाईनिषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 188 राज0टि0एक्ट
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टि0एक्ट

उपस्थित :—

1. प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री भारत वर्मा
2. अप्रार्थीगण की और से अधिवक्ता श्री चेतराम नागर।

—:: आदेश ::—

दिनांक— 05.04.2021

1. प्रार्थी की ओर से उपरोक्त उनवान का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का दिनांक 16.12.2020 को पेश किया गया।
2. प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे व हिस्से की कृषि भूमि खाता सं. नया 95 पुराना 92 की खसरा सं. 251 रकबा 0.77 है0, खसरा

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

संख्या 252 रकबा 1.15 है0 हिस्से की भूमि वाके ग्राम व माल इन्द्रपुरिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी में विस्थित है। प्रार्थी के खाते व कब्जे की कृषि भूमि को प्रार्थी की सहमति से उसका लडका मनमोहन बैरवा काश्त करता है और उक्त भूमि पर काश्त करता चला आ रहा है। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 प्रार्थी व उसके पुत्र को काश्त करने से रोकते है एवं कृषि भूमि से बेदखल करने का प्रयास करते है। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 आये दिन प्रार्थी के खेत पर जाकर कब्जा करने का प्रयास करते है एवं जबरन फसल को भरकर ले जाने का प्रयास करते है जिसके चलते कई बार लडाई झगडे की नोबत आ चुकी है। अन्त में प्रार्थना की गई कि अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

3. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुये मुख्य रूप से वर्णित किया कि दिनांक 13.07.2017 को उक्त वर्णित कृषि भूमि को 7,50,000/–रू0 अप्रार्थी सं. 1 से उधार लेकर उक्त रकम के बाबत् प्रार्थी के पुत्र मनमोहन ने अप्रार्थी संख्या 1 से तकाजा किया था कि उक्त रकम को दिनांक 20.04.2018 को वापस लोटाने की एवज में प्रार्थी के पुत्र ने इन्द्रपुरिया माल में स्थित कुल भूमि में से 12 बीघा कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 को काश्त करने हेतु कब्जा संभला दिया, साथ ही यह भी वचन दिया था कि संभलाई गई कृषि भूमि पर फसल करने का अधिकार अप्रार्थी सं. 1 का होगा। उक्त कृषि भूमि पर मेरे पिता वादी व अन्य परिजन किसी का भी ऐतराज नही करने हेतु पाबंद रहेंगे। इस प्रकार का इकरारनामा प्रार्थी के पुत्र ने अप्रार्थी सं. 1 से किया और रूबरू गवाहान के समक्ष 100/रू0 के नोन ज्यूडिश्यल स्टांप व एक हरे कागज कुल किता 2 पर एक तहरीर लिख दी। उक्त जमीन पर प्रार्थी का पुत्र मनमोहन काश्त करता था, अब अप्रार्थी सं. 1 काश्त करता है तथा अप्रार्थी सं. 1 का ही कब्जा है। उक्त वर्णित कृषि भूमि पर ना तो प्रार्थी का कब्जा है, ना ही उसके पुत्र का कब्जा है। कब्जा अप्रार्थी सं. 1 का होने से प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है। प्रार्थी को अप्रार्थीगण के खिलाफ 188 के बजाय 183 आर.टी.एक्ट के तहत दावा करना चाहिए,

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

इसलिये प्रार्थना पत्र कब्जे के आधार पर खारिज होने योग्य है। इस सन्दर्भ में एफआईआर नम्बर 121/2019 थाना के0 पाटन प्रार्थी के पुत्र ने दर्ज कराई थी जिसमें बाद अनुसंधान रिपोर्ट सक्षम न्यायालय में पेश की जा चुकी है जिससे अप्रार्थी सं. 1 का कब्जा भूमि पर साबित होता है। अन्त में प्रार्थना की कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पक्षकारान् को अपना–अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने के पर्याप्त एवं युक्ति–युक्त अवसर दिये गये। साक्ष्य में निम्न दस्तावेजात्/साक्ष्य प्रस्तुत किये–

1. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम इन्द्रपुरिया सं0 2073–76 खाता नं0 95

बाद साक्ष्य विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के कथनों को तथा विद्वान अधिवक्ता प्रतिपक्षीगण द्वारा जवाब के कथनों को दौहराया। बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन, मनन अवलोकन किया गया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को पर भी विचार किया। विवादित भूमि वाके ग्राम इन्द्रपुरिया तहसील के0पाटन स्थित ख0नं0 251 रकबा 0.77 है0, ख0 नं0 252 रकबा 1.15 है0 भूमि के नाथू व बाला पुत्र मोती जाति बैरवा अभिलिखित खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है। वादगत भूमि प्रार्थी की संयुक्त अविभाजित खातेदारी भूमि है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार विवादित भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थी की हैसियत सहखातेदार तक प्रमाणित है, ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में नजर आता है।

विवादित भूमि वाके ग्राम इन्द्रपुरिया तहसील के0पाटन स्थित ख0नं0 251 रकबा 0.77 हे0, ख0 नं0 252 रकबा 1.15 हे0 भूमि पर भौतिक रूप से कौन काबिज है, इस सम्बन्ध में उभयपक्ष द्वारा विवादित भूमि पर अपना–अपना कब्जा होनें के कथन किये है किन्तु थाना के0पाटन में दर्ज एफआईआर की अनुसंधान रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

किये गये है कि प्रार्थी नाथूलाल बैरवा के पुत्र मनमोहन बैरवा द्वारा दिनांक 13.07.2017 को महावीर बैरवा से एक इकरारनामा किया, इकरारनामा में मनमोहन बैरवा ने कुल भूमि में से 12 बीघा भूमि महावीर बैरवा के पक्ष में रहन रखते हुए 7.50 लाख रू0 प्राप्त कर मौके पर कब्जा महावीर को संभला दिया था। अनुसंधान रिपोर्ट के अवलोकन से प्रमाणित है कि विवादित भूमि पर दिनांक 13.07.2017 के उपरान्त महावीर बैरवा काबिज काश्त चला आ रहा है। **आर0आर0डी0 2000 पृष्ठ 28 श्रीमती सुमित्रा बाई बनाम ब्रज मोहन में यह व्यवस्था दी गई है कि "सुविधा संतुलन के लिए यह देखना होगा कि निषेधाज्ञा न देने से अधिक अनिष्ट व असुविधा होगी बनिस्पत निषेधाज्ञा जारी होनें से"** प्रकरणाधीन भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थी के स्वत्व मात्र वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड तक ही जाहिर होते है, ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रकट नहीं होता है।

प्रतिपक्षी नं0 1 महावीर का विवादित भूमि पर काबिज होना प्रमाणित है, ऐसी स्थिति में यदि प्रतिपक्षी नं0 1 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की जाती है तो अपरिमित क्षति प्रतिपक्षी नं0 1 को ही होना प्रकट होती है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 में निषेधाज्ञा जारी किये जानें के सम्बन्ध में स्पष्ट वर्णित है कि *"कोई सम्पत्ति जिसके बारें में ऐसा वाद या कार्यवाही उससे सम्बन्धित किसी पक्षकार द्वारा दुरूपयोग किये जानें, क्षतिग्रस्त किये जानें, या हस्तान्तरित किये जानें के खतरे में है"* प्रकरणाधीन भूमि के सम्बन्ध में प्रतिपक्षी नं0 1 द्वारा विवादित आराजी का दुरूपयोग किये जानें की संभावना प्रकट नहीं होती है। विवादित आराजी पर प्रतिपक्षी नं0 1 महावीर का सेटल्ड पजेशन है। जिसे उक्त प्रार्थना पत्र के आधार बिना विधिक प्रकिया अपनायें बैदखल नही किया जा सकता है। शेष तथ्य मूलवाद की विषय वस्तु है।

प्रार्थी को या प्रतिपक्षीगण को विवादित आराजी पर या उसके हिस्से पर क्या हक अख्त्यार है या होने चाहिये इसका विनिश्चय मूलवाद पर सम्यक साक्ष्योपरान्त तथा

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

सम्यक विचारण उपरान्त विधि अनुसार मेरिट पर होना है न कि प्रार्थी के इस प्रार्थना पत्र के काउण्टर क्लेम के आधार पर।

लिहाजा उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तामील तकमील नम्बर से कम की जावे तथा निर्णीत में गणना की जाकर मूलवाद के साथ संलग्न रहें।

निर्णय आज दिनॉक 05/04/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन

5.4.21

(हरबिन्दर डी0 सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
के0पाटन